Witness no. ...–**20**–...for ......– **अभियोजन साक्ष्य** –....Deposition Taken Sheet No.1

the.....**02**.........day of ....– **सितम्बर 2021**–....Witness's apparent age .....**45 वर्ष**....

States on affirmation .... My name is ... **–घनाराम बघमार –**

Son of .....–**–श्री अभयराम बघमार** –..... occupation ..–**–प्रधान आरक्षक (कं. 263)–**

address .–**– थाना डी.डी. नगर, रायपुर, जिला– रायपुर (छ.ग.)**

1. मैं अगस्त 2017 से थाना डी.डी.नगर, रायपुर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हूं। आज मैं अपने साथ थाना डी0डी0 नगर, रायपुर के जप्ती माल रजिस्टर जो दिनांक 17.03.2017 से वर्तमान तक का है लेकर आया हूं। उक्त जप्तमाल रजिस्टर के वर्ष 2018 के सरल क्रमांक 38 में दिनांक 09.12.2018 को घटना स्थल महादेव घाट, शनि मंदिर के पास यादव होटल के सामने थाना के अपराध क्रमांक 386/2018, धारा 307, 34 भा0दं0सं0 एवं 25, 27 आयुध अधिनियम में 2 नग खाली खोखा, जिसके पेंदा में अंग्रेजी के कैपीटल अक्षक KF 7.65 लिखा हुआ है। घटना स्थल के पास यादव होटल के अंदर खून टाईल्स से कॉटन (रूई) में उठाया गया है, यादव होटल के अंदर के पास से टाईल्स में पड़ा धुल (सादी) रूई से उठाया गया है, मालखाना में जमा कराया गया था।

2. उसी तारीख अर्थात् दिनांक 09.12.2018 को ही एक पिस्टल (स्टील) जिसमें एक मैंगजीन लगा हुआ, जिसके मुठ में कत्थे कलर की लकड़ी जैसे प्लेट दोनो तरफ लगा है और स्क्रू से कसा है, मालखाने में जमा कराया गया है। उक्त माल आरोपी अरूण यादव आत्मज राजकुमार यादव, निवासी हांडीपारा, राधाकृष्ण मंदिर के पास से जप्त किया गया था।

3. उक्त दिनांक को ही समीर शर्मा आत्मज सतीश शर्मा, निवासी समता कॉलोनी, रायपुर से जप्त एक स्लेटी ब्लैक कलर का मोटर सायकल बजाज प्लसर क्रमांक सी.जी. 04 एल.डब्लू. 6721 घटना में प्रयुक्त मालखाने में जमा कराया गया था। दिनांक 09.12.2018 को उपरोक्त तीनो प्रविष्टी सरल क्रमांक 38 में दर्ज है, जो **प्रदर्श पी 22** है, जिसकी छायाप्रतिलिपि **प्रदर्श पी 22सी** है।

4. दिनांक 18.12.2018 को उपरोक्त पंजी के सरल क्रमांक 40 में ओम हॉस्पिटल से उपरोक्त अपराध क्रमांक के एक नग फॉयर किया हुआ बुलेट, प्रताप चंद्राकर से जप्त एक नीला जीन्स पेंट बाये पैर के घुटने के नीचे दो जगह छेद खून लगा हुआ सीलबंद एवं तुषार पांडे से जप्त एक नीला जीन्स पैंट दांहिना पैर एक जगह छेद है और खून का दाग लगा हुआ सीलबंद प्रस्तुत करने पर मालखाने मे जमा किया गया था। मूल पंजी की प्रविष्टी सरल क्रमांक 40 **प्रदर्श पी 23** है, जिसकी फोटो सत्यापित प्रतिलिपि **प्रदर्श पी 23सी** है।

Witness no. ...–**20**–...for ......– **अभियोजन साक्ष्य** –....Deposition Taken Sheet No.2

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री राजेश श्रीवास्तव, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त

5. यह कहना गलत है कि पिस्टल और दोनो कारतूस मेरे समक्ष खूली हालत में जमा किये गये थे। यह कहना सही है कि मालखाना रजिस्टर में इस बात का इंद्राज नहीं है कि पिस्टल और कारतूस सीलबंद हालत में थे। मालखाना रजिस्टर में पिस्टल की मूठ मे लकड़ी की प्लेट लगे होने का इंद्राज हैं।

नोटः– मूल मालखाना रजिस्टर पंजी का सत्यापित छायाप्रति से मिलान कर मूल मालखाना रजिस्टर पंजी गवाह को वापस किया गया।

गवाह को पढकर सुनाया गया
सही होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही/–
(अरविंद कुमार वर्मा)
सत्र न्यायाधीश,रायपुर
छत्तीसगढ़

सही/–
(अरविंद कुमार वर्मा)
सत्र न्यायाधीश,रायपुर
छत्तीसगढ़

साक्षी का हस्ताक्षर............................

प्रमाण पत्र

मै पुष्टि करता हुॅ कि इस पी0डी0एफ0 फाईल की अंतर्वस्तु अक्षरशः वैसी ही है जो मूल कथन में टंकित की गई है।

साक्ष्य लेखक का नाम :– शांकी नागदेवे